43

**भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक एफ0न0– 11–29/2004 (एफ0सी0) दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर सूचना/आख्या मौके की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार है –**

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट निर्माण स्थल के सम्पर्क मार्ग (प्रवेश/निकास मार्ग व मध्य भाग) प्रयोग में होने वाली संरक्षित वन भूमि/सड़क पटरी का क्षेत्रफल 0.1454 हें0 है। जिसके N.P.V. मूल्य का भुगतान 8.87 लाख x 0.1454 हें0 = 128970.00 रू0 का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा कैम्पा को देय होगा, एवं यदि N.P.V. की धनराशि में उक्त अवधि में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई धनराशि की भी अदायगी प्रस्तावक विभाग द्वारा की जायेगी।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पूर्व निकटतम 900 मीटर की दूरी पर रिटेल आउटलेट स्थित है एवं प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पश्चात् 500 मीटर की दूरी पर रिटेल आउटलेट स्थित है। एवं **प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग में कोई बाधक वृक्ष नही है।**
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जा रही है।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना परिसर के अवशेष भाग में याचक विभाग द्वारा सुविधानुसार स्टाफ/उपभोक्ता के उपयोग हेतु पार्किंग, टायलेट्स रेस्ट रूम आदि की व्यवस्था की जायेगी, यह कार्य प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाना है।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग (प्रवेश/निकास मार्ग) निर्माण से वृक्षों का पातन सम्भावित नही है।
6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना बावत् सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद ही सम्पर्क मार्ग (प्रवेश/निकास मार्ग )का निर्माण कराया जायेगा ।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना के सम्पर्क मार्ग (प्रवेश/निकास मार्ग) से रोपावनी प्रभावित नही होगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी,
वनमंडल, मीरजापुर

किशोर सोनक/Kishor Sonak
एस डी आर एस एम/S D R S M
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (MD)
इलाहाबाद मण्डलीय कार्यालय/Allahabad Divisional Office